## सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

**प्रपत्र–क**

| **न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया**<br>**व्यवहार न्यायालय, गया** | |
|---|---|
| **उपस्थित** | **शशि कांत ओझा**<br>**अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया।** |
| **निर्णय की तिथि** | **13.07.2026** |
| सत्र प्रकरण सं0 | 249 / 2023 |
| जी0 आर0 नम्बर | 36712 / 2017 |
| चकन्द थाना कांड सं0 | 74 / 2017 |
| सूचक | राज्य सरकार द्वारा सूचक संजु देवी |
| अभियोजन की तरफ से | श्री कमलेश कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक |
| अभियुक्त गण का नाम | 1. गिरजा साव, पिता–स्व0 सुखा साव,<br>2. पिंकी देवी, पति–समुन्द्र साव,<br>3. सुरेन्द्र साव, पिता– गिरजा साव,<br>4. विष्णु साव, पिता–गिरजा साव, सभी ग्राम– सियरभुक्का थाना–चाकन्द, जिला–गया । |
| अभियुक्त की तरफ से | श्री सुशील कमार सिंह, अधिवक्ता |

**प्रपत्र–ख**

| | |
|---|---|
| घटना की तिथि एवं समय | 09.06.2017 को सातवां पहर रात्री 09:00 बजे तक |
| प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा | 09.06.2017, धारा–448, 341, 323, 376, 511, 504 / 34 भा0 द0 वि0। |
| आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा | 02.08.2017, धारा–448, 341, 323, 376, 511, 504 / 34 भा0 द0 वि0। |
| संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा | 19.07.2017, धारा– 448, 341, 323, 376, 511, 504 / 34 भा0 द0 वि0। |
| आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा | 13.05.2024, धारा– 376 / 511, 506, 448, 504 / 34, 341, 323 / 34, भा0 द0 वि0 में अभियुक्त विष्णु साव के विरूद्ध एवं धारा–323 / 34, 341, 504 / 34 में अभियुक्त गिरजा साव, पिंकी देवी एवं सुरेन्द्र साव के विरूद्ध। |
| प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि | 10.07.2025 |
| बयान दर्ज करने की तिथि | 08.07.2026 |

| | |
|---|---|
| निर्णय हेतु रखने की तिथि | 13.07.2026 प्रथम पाली |
| **निर्णय की तिथि** | **13.07.2026 द्वितिय पाली** |
| सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि | N.A. |

अभियुक्त का विवरण

| क्र0 सं0 | अभियुक्त का नाम | गिरफतारी की तिथि/आत्मसमर्पन कि तिथि | जमानत पर मुक्ति की तिथि | जिन अपराधों का आरोप बनाया गया | चाहे दोषमुक्त हो या दोषी | सजा सुनाई गई | धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | गिरजा साव | 29.06.2017 | 29-06-2017 | धारा–323/34, 341, 504/34 भा0 द0 वि0। | दोषमुक्त | N.A | N.A |
| 02. | पिंकी देवी | 29.06.2017 | 29.06.2017 | | दोषमुक्त | N.A | N.A |
| 03. | सुरेन्द्र साव | 29.06.2017 | 29.06.2017 | | दोषमुक्त | N.A | N.A |
| 04. | विष्णु साव | 10.06.2017 | 29.06.2017 | धारा–376/511, 506, 448, 504/34, 341, 323/34 भा0 द0 वि0। | दोषमुक्त | N.A | N.A |

## निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण गिरजा साव, पिंकि देवी, सुरेन्द्र साव प्रस्तुत प्रकरण में धारा–323/34, 341, 504/34 भा0 द0 वि0 एवं अभियुक्त विष्णु साव प्रस्ततु प्रकरण में धारा–376/511, 506, 448, 504/34, 341, 323/34 भा0 द0 वी0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, संजु देवी के आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि ''दिनांक 09.06.2017 को समय 09 बजे रात्री को इनके घर में विष्णु साव छिपनी मांगने के बहाने घर में घुसकर बल्ब बुझा दिया और हाथ पकड़कर कमरा में ले जाने लगा तो सूचक इनकार किया तो उसे गोदी में उठाकर कमरा में ले गया तो सूचक चिल्लाने लगी एवं रोने लगी तो उसे 20 रूपया देने लगा और कहा कि हल्ला नहीं करों तो सूचक ने पैसा नहीं लिया तब अभियुक्त विष्णु साव बोला कि हल्ला कर रही हो तो जान से मार देंगे। बाहर में अमर कुमार और ये दोनों व्यक्ति नशे में था। हल्ला पर लोग जुटने लगे तो ये दोनों भागकर अपने घर में घुस गये और दरवाजा बंद कर लिया। घर के परिवार लोग पुछने के लिए सुरेन्द्र साव एवं पिंकि देवी एवं गिरजा साव के घर गये तो इनलोगों ने गाली गलौज एवं ईट पत्थर छत से चलाने लगा।''

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर गया चाकन्द थाना कांड संख्या–74/2017, दिनांक 09.06.2017 अन्तर्गत धारा–448, 341, 323, 376, 511, 504, 34 भा0 द0 वि0 अभियुक्तगण विष्णु साव, अमर कुमार, सुरेन्द्र साव, पिंकि देवी, गिरजा साव के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्तगण तिलेश्वरी देवी एवं अशोक यादव के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या – 98/2017, दिनांक–30.06.2017 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 448, 341, 323, 376, 511, 504, 34 भा0 द0 वि0 में दिनांक 02.08.2017 को समर्पित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा दिनांक 19.09.2017 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के

अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक– 08.02.2023 को अभियुक्तगण के मामले को विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 13.05.2024 को अभियुक्तगण गिरजा साव, पिंकि देवी, सुरेन्द्र साव प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 323/34, 341, 504/34 भा0 द0 वि0 एवं अभियुक्त विष्णु साव प्रस्तु प्रकरण में धारा–376/511, 506, 448, 504/34, 341, 323/34 भा0 द0 वी0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्तों ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद–विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2023 के आलोक में प्रकरण का अभिलेख इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक–08.07.2026 को अभियुक्तगण गिरजा साव, पिंकि देवी, सुरेन्द्र साव एवं विष्णु साव का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उसे इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

**मन्तव्य**

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 03 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

**अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :–** सनोज कुमार

**अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :–** संजु देवी

**अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :–** मंजु देवी

अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज को प्रदर्श अंकित नहीं कराया गया।

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– सनोज कुमार**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि " यह घटना वर्ष 2017 की है। मेरे पास करीब 10 बजे रात में फोन आया था। उस वक्त मैं अपने घर पर था। हल्ला सुनने के बाद मैं परमानंद के घर के पास पहुंचा तो मैं उनकी पत्नी से पुछा तो उसने बताया की विष्णु साव परमानंद साव के घर में घुस गया था और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसके बाद हल्ला होने के बाद भीड़ जमा हो गयी। गिरजा साव के घर पर उसी समय परमानंद चेतवानी देने के लिए गया था तो वहां पर हल्ला एवं लड़ाई झगड़ा होने लगा था। उस झगड़े में अमर साव, सुरेन्द्र साव, पिंकी देवी, एवं अन्य लोग थे वे लोग मिलकर परमानंद एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे। जिन व्यक्तियों का नाम आज मैनें न्यायालय में लिया है उन सभी व्यक्तियों को पहचानता हूं। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त गिरजा साव को पहचानता हूं।"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि "विष्णु साव एवं परमानंद साव दोनों भाई है। इनके घर से मेरा घर करीब 10 मिनट की दूरी पर है। मैं घटना के 2 घंटे बाद विष्णु साव के घर पर गया था। विष्णु साव एवं परमानंद साव के बीच जमीनी विवाद होते रहता है। घटना स्थल पर मेरी मुलाकात सिर्फ परमानंद से हुई थी। 12–1 बजे मैं अपने घर पर चला गया था तो उसके बाद वहां क्या हुआ यह मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा घर दूरी पर है। गिरजा साव मेरे गांव का है इसलिए मैं पहचानता हूं। पुलिस से मेरा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ है और न ही मेरा पुलिस में कोई बयान हुआ है। "

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– संजु देवी**, सूचक, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि "यह घटना 8 साल पहले की है। उस दिन रात के 11 बजे की है। मैं उस समय अपने घ ार पर थी तो विष्णु साव, गिरजा साव, सुरेन्द्र साव एवं पिंकी साव पी खाकर आये और हल्ला करने लगे एवं बाताबाती करने लगे उसी वजह से मैनें थाने में केस कर दिया। आज न्यायालय में मौजूद अभियुक्त सुरेन्द्र साव, पिंकी देवी, एवं विष्णु साव को पहचानती हूं। थाने में लिखित आवेदन किसने लिखा था यह मुझे नहीं पता है। लिखित आवेदन पर मेरे अगूंठे का निशान है एवं लिखित आवेदन पर मेरे पति का हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूं। आज से पहले न्यायालय में मेरा एक बार बयान हुआ था जिसपर मैनें अपने अगूंठे का निशान लगाया था। पुलिस में मेरा बयान पहले हुआ है।"

अभियोजन के प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के द्वारा किये गये प्रति परीक्षण के दौराण साक्षी उनके कथनों का समर्थन नहीं किया।

**बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि** " सारे अभियुक्त गण मेरे परिवार के है। इस घटना में मेरे साथ कोई अभियुक्त न ही रेप किया और न रेप का प्रयास किया। प्राथमिकी में क्या लिखा गया था या नहीं वह मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था ऐसे ही मेरे अगूंठे का निशान ले लिया गया था। आज न्यायालय में मैं अपने पति के साथ आयी हूं। "

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– मंजु देवी**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि " यह घटना 03–04 साल पहले की है लेकिन घटना में क्या हुआ था इसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। पुलिस मुझसे कोई पुछताछ नहीं की थी। अभियुक्त गिरिजा साव, एवं विष्णु साव को पहचानती हूं।"

अभियोजन के प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के द्वारा किये गये प्रति परीक्षण के दौराण साक्षी उनके कथनों का समर्थन नहीं किया।

**बार बार पुकार पर बचाव पक्ष की ओर से कोई भी विद्वान अधिवक्ता प्रति परीक्षण के उपस्थित नहीं हुये तत्पश्चात साक्षी को उनमोचित किया गया।**

14. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमलेश कुमार सिन्हा अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 03 साक्षी का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी सं0– 1 ने कहा है कि वर्ष 2017 की घटना है और उस दिन 10 बजे रात्री में हल्ला पर यह साक्षी परमानन्द के घर के पास गयी तो परमानन्द की पत्नी ने बतायी कि विष्णु साव उसके घर में घुस गया था और छेड़छाड़ करने लगा तो हल्ला होने पर भीड़ जमा हो गयी। जब चेतावनी देने के लिए गये तो मुदालय लोग लड़ाई झगड़ा करने लगा और परमानन्द एवं उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। अभियुक्तों की पहचानने एवं उपस्थित उपस्थित अभियुक्त गिरजा साव को पहचान किया। साक्षी सं0 2 संजु देवी जो कि इस मामले के सूचक हैं इन्होने ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कहा है कि घटना 8 साल पहले की समय रात्री के 11 बजे की है उस समय यह अपने घ ार पर थी तो मुदालय लोग पी खाकर आये और हल्ला करने लगे एवं बाताबाती करने लगे उसी वजह से इसने थाने में केस किया। न्यायालय में अभियुक्त सुरेन्द्र साव, पिंकी देवी, विष्णु साव को पहचानती है। साक्ष्झी सं0 3 मंजु दवी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना 3–4 साल पहले की है। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

15. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन नहीं किया है एवं साक्षी सं0 2 सूचक

श्रीमति संजु देवी ने भी अपने मुख्य परीक्षण के दौरान घटना का समर्थन नहीं किया है उन्होनें अपने बयान में कहा है कि घटना 8 साल पहले रात्री 11 बजे की है उस दिन अभियुक्तगण पी खाकर हल्ला करने लगे तो बाताबाती हुयी थी इसी वजह से इन्होने ने केस किया था। आवेदन किसने लिखा था, इन्हे नहीं पता है। आवेदन पर केवल इन्होने ने अपने अंगुठे का निशान लगाया था। इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोहि घोषित किया गया तथा बचाव के द्वारा किये गये प्रति परीक्षण के दौरान इसने कहा है कि सारे अभियुक्तगण इनके परिवार के हीं हैं। इस घटना में इनके साथ कोई अभियुक्त न हीं रेप किया और न रेप करने का प्रयास किया। प्राथमिकी में क्या लिखा गया था, पढ़कर नहीं सुनाया गया था और सिर्फ इनके अंगुठे का निशान ले लिया गया था। साक्षी सं0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2017 की है और 10 बजे रात्री में फोन आया था। हल्ला सुनने के बाद यह परमानन्द के घर के पास पहूॅचे तो परमानन्द की पत्नी ने इन्हे बतायी कि विष्णु साव, परमानन्द साव के घर में घुस गया और उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। हल्ला पर लोग जुट गये। जब परमानन्दन चेतावनी देने अभियुक्त के घ ार गये तो मारपीट किया। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण के दौरान कहा है कि विष्णु साव एवं परमानन्द साव दोनों भाई हैं और ये 2 घंटे बाद विष्णु साव के घर पर गये थे। विष्णु साव एवं परमानन्द साव के बीच जमीनी विवाद है। घटना स्थल पर सिर्फ इस साक्षी को परमानन्द से मुलाकात हुयी थी। उसके बाद ये अपने घर चले आये उसके बाद क्या हुआ नहीं बता सकते। पुलिस ने इनका बयान नहीं लिया था। साक्षी सं0 3 ने मुख्य परीक्षा में हीं घटना का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि घटना में क्या हुआ था, इसकी जानकारी इन्हे नहीं है और ये उस दिन घर पर नहीं थे। पुलिस इनसे पुछताछ नहीं की थी। यह साक्षी अभियोजन के प्रार्थना पर पक्षद्रोहि घोषित किया गया था। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्तगण के संबंध में मामले युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

16. उभय पक्षों को सुना। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी अभियोजन साक्षी सं0 2 सूचिका सह पिड़िता सह चच्छुदर्शी साक्षी हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में

घटना का समर्थन करते हुये कहा है कि घटना आठ साल पहले रात्री 11 बजे की है। उस समय यह साक्षी अपने घर पर थी तो अभियुक्त विष्णु साव, गिरजा साव, सुरेन्द्र साव एवं पिंकी साव खा पी कर आये और हल्ला करने लगे जिसके बजह से इस साक्षी ने थाने में केस किया। परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 8, 9 एवं 10 में कहा है कि इस मामले के सारे अभियुक्तगण इसके परिवार के हैं और इस घटना में इस साक्षी के साथ न तो किसी अभियुक्त ने बलात्कार किया और न हीं बलात्कार का प्रयास किया। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि प्राथमिकी में क्या लिखा गया था, यह इस साक्षी को पढकर नहीं सुनाया गया था और इससे अंगुठे का निशान ले लिया गया था। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोज साक्षी सं0 1 ने अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में यह कहा है कि घटना वर्ष 2017 की है। इस साक्षी के पास 10 बजे रात्री में फोन आया था उस वक्त यह साक्षी अपने घर पर था और हल्ला सुनने के बाद यह साक्षी परमानन्द के घर के पास पहूॅचा और परमानन्द की पत्नी से पुछा तो उसने बतायी कि विष्णु साव उसके घर में घुस गया था और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। गिरजा साव के घर उसी समय परमानन्द चेतावनी देने गया तो वहॉ पर हल्ला एवं लड़ाई झगड़ा होने लगा। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 एवं 5 में कहा है कि विष्णु साव एवं परमानन्द साव दोनों भाई हैं और यह साक्षी घटना के दो घंटे बाद विष्णु साव के घर पर पहूॅचा था। इस साक्षी ने आगे प्रति परीक्षण के कंडिका 6 में कहा है कि विष्णु साव एवं परमानन्द साव के बीच विवाद होते रहता है। इस प्रकार यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है। इस साक्षी ने आगे अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 में यह भी कहा है कि पुलिस में इस साक्षी का बयान नहीं हुआ था। इस प्रकार यह साक्षी भी अपरीक्षित साक्षी है। अभियोजन साक्षी सं0 3 अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कहा है कि घटना के बारे में इस साक्षी को कोई जानकारी नहीं है, अभियोजन

के निवेदन पर इस साक्षी को प्रक्षद्रोहि घोषित किया गया है परन्तु अभियोजन इस साक्षी से किये गये सूचक प्रश्न में भी अपने पक्ष में कोई भी साक्ष्य लाने में असफल रहा है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कुल तीनों अभियोजन साक्षीयों में से केवल अभियोजन साक्षी सं0 1 ने घ ाटना का समर्थन किया है परन्तु यह साक्षी घटना का अनुश्रुत साक्षी है। घटना का चच्छुदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी सं0 2 जो कि इस मामले के सूचक–सह–पीड़िता भी हैं, ने घटना का समर्थन नहीं किया और यह भी कहा है कि प्राथमिकी में क्या लिखा गया था, यह उसे पढ़कर नहीं सुनाया गया एवं उससे अंगुठे का निशान ले लिया गया था। इस प्रकार अभियोजन अपने मामले के स्थापित करने में पुरी तरह से असफल रहा है। इस मामले में अभियोजन ने अनुसंधानकर्ता की गवाही भी नहीं करायी गयी है। चुंकि इस कांड के सभी महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो गया है और सूचक सहित किसी भी साक्षी ने घटना का प्राथमिकी के अनुसार समर्थन नहीं किया है इसलिए अनुसंधानकर्ता की गवाही का इस मामले के गुण अवगुन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन ने अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण गिरजा साव, पिंकि देवी, सुरेन्द्र साव के विरूद्ध लगाए गये आरोप अंतर्गत घारा– 323/34, 341, 504/34 भा0 द0 वि0 एवं अभियुक्त विष्णु साव के विरूद्ध लगाए गये आरोप अंतर्गत घारा–376/511, 506, 448, 504/34, 341, 323/34 भा0 द0 वी0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

## आदेश

17. चूंकि अभियोजन अभियुक्तगण गरजा साव, पिंकी देवी, सुरेन्द्र साव एवं विष्णु साव के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण गिरजा साव, पिंकि देवी एवं सुरेन्द्र साव को घारा– 323/34, 341, 504/34 भा0 द0 वि0 एवं अभियुक्त विष्णु साव को घारा–376/511, 506, 448, 504/34, 341, 323/34 भा0 द0 वी0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। सभी अभियुक्त गरजा साव, पिंकी देवी, सुरेन्द्र साव एवं विष्णु साव पूर्व से जमानत पर है, उनके जमानतदारों को जमानत के दायित्व से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

**ह0/–**
**(शशि कांत ओझा)**
अपर सत्र न्यायाधीश –I
गया जी।
दिनांक :–13.07.2026

लेखापित

**ह0/–**
**(शशि कांत ओझा)**
अपर सत्र न्यायाधीश –I
गया जी।
दिनांक :–13.07.2026